

मेघालय जनजातीय परिषद का वलिय के साधन (IoA) पर पुर्नवचार

प्रलिस के लयः

छठी अनुसूची, जनजातीय परिषद, हलि काउंसलि, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ।

मेन्स के लयः

बदलते समय के साथ उत्तर-पूरवी जनजातयों का सामाजकि-धार्मकि और प्रथागत मुद्दा, संघवाद, उत्तर-पूरव से संबंघति मुद्दा ।

चर्चा में क्यों?

मेघालय में आदवासी परिषद ने सात दशक से भी अधकि समय पहले खासी डोमेन को भारतीय संघ का हसिसा बनाने वाले वलिय के साधन (Instrument of Accession-IoA) पर फरि से वचार करने के लयि पारंपरकि प्रमुखों की बैठक बुलाई है ।

मेघालय जनजातीय परिषद का IoA पर पुर्नवचारः

- खासी पहाड़ी स्वायत्त ज़िला परिषद (Khasi Hills Autonomous District Council-KHADAC) के नेताओं ने IoA और संलग्न समझौते पर फरि से वचार करने की आवश्यकता पर बल दया । उनके अनुसार समझौते के अनुच्छेदों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि संवधान की छठी अनुसूची से कई प्रावधान गायब हैं ।
- खासी राज्यों के संघ ने वशिष दर्जे की मांग की थी, जैसे नगालैंड ने [अनुच्छेद 371 ए](#) के तहत यह नगा प्रथागत कानूनों के अनुसार नागरकि और आपराधकि न्याय के प्रशासन के अधकिार के साथ नगाओं के सामाजकि-धार्मकि एवं प्रथागत अभ्यास की रक्षा करता है ।
 - अनुच्छेद 371A के तहत नगाओं को भूमि और संसाधनों का स्वामतिव एवं हसतांतरण भी प्राप्त है ।
- हाल ही में '[खासी उत्तराधकिार संपत्तविधियक, 2021](#)' पेश कयि जाने से खासी लोगों की सामाजकि और प्रथागत प्रथाओं में हसतक्षेप के कारण KHADAC के कुछ नेताओं को इसने नाराज़ कर दया है । बलि खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्त के "समान वतरण" का आह्वान करता है ।
- KHADAC ने कहा कि प्रावधानों को छठी अनुसूची में जोड़ा जा सकता है, जसि "संसद द्वारा संशोधति कयि जा सकता है" ।

प्रमुख बदि

- KHADAC संवधान की छठी अनुसूची के तहत एक नकिय है ।
- इसमें कानून बनाने की शक्ति नहीं है ।
- [छठी अनुसूची](#) का अनुच्छेद 12ए राज्य वधानमंडल को कानून पारति करने का अंतमि अधकिार देता है ।
- संवधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधकिारों की रक्षा के लयि आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है ।
- यह वशिष प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदान कयि गया है ।
- यह [स्वायत्त ज़िला परिषदों \(ADCs\)](#) के माध्यम से उन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है, जनिहें अपने अधकिार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों के संबंघ में कानून बनाने का अधकिार है ।

'वलिय के साधन (Instrument of Accession)':

- परचियः
 - वलिय का साधन एक कानूनी दस्तावेज़ था जसि पहली बार भारत सरकार अधनियम 1935 द्वारा पेश कयि गया था और 1947 में ब्रिटिश

सर्वोच्चता के तहत रियासतों के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश भारत के वभिाजन द्वारा बनाए गए भारत या पाकस्तान के नए उपनविशों में से एक में शामिल होने के लिये इस्तेमाल किया गया था । .

- शासकों द्वारा नषिपादति वलिय के उपकरण, तीन वषियों, अर्थात् रक्षा, वदिश मामलों और संचार पर भारत के डोमिनियन (या पाकस्तान) में राज्यों के परगिरहण के लिये प्रदान किये गए थे ।

■ IoA और मेघालय:

- 15 दसिंबर, 1947 से 19 मार्च, 1948 के बीच भारत डोमिनियन तथा खासी पहाड़ी राज्य के मध्य IoA पर हस्ताक्षर किये गए थे ।
 - मेघालय को तीन कषेत्रों में वभिाजति किये गया है, जसिमें कई मातृवंशीय समुदायों का वर्चस्व है - खासी, गारो और जयंतिया ।
 - खासी पहाड़ियाँ 25 हमिाओं या राज्यों में फैली हुई हैं जिन्होंने खासी राज्यों के संघ का गठन किये ।
- इन राज्यों के साथ सशरत संधिपर भारत के गवरनर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा 17 अगस्त, 1948 को हस्ताक्षर किये गए थे ।

छठी अनुसूची:

- **अनुच्छेद 244** के तहत संवधान की छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की शक्ति प्रदान करती है, **स्वायत्त ज़िला परिषद (ADC)** जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ वधियाँ, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है ।
- छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों **असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम** में जनजातीय कषेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान हैं ।
 - इन चार राज्यों में आदिवासी कषेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है । राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है ।
- संसद या राज्य वधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों और स्वायत्त कषेत्रों पर लागू नहीं होते हैं अथवा नरिदषिट संशोधनों व अपवादों के साथ ही लागू होते हैं ।
 - इस संबंध में नरिदेशन की शक्तिया तो राष्ट्रपतिया राज्यपाल के पास होती है ।
- **प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है** जसिमें 30 सदस्य होते हैं, जसिमें से **चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं** ।
 - **नरिवाचति सदस्य** पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करते हैं (जब तक कि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती) और **मनोनीत सदस्य राज्यपाल** के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।
- प्रत्येक स्वायत्त कषेत्र की एक अलग कषेत्रीय परिषद भी होती है ।
 - ज़िला और कषेत्रीय परिषदें अपने अधिकार कषेत्र के तहत कषेत्रों का प्रशासन करती हैं ।
 - वे **भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की वरिसत, वविाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों** आदि जैसे कुछ वशिषिट मामलों पर कानून बना सकते हैं लेकिन ऐसे **सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति** की आवश्यकता होती है ।
 - वे जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकते हैं । वे उनकी अपील सुनते हैं । इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार कषेत्र राज्यपाल द्वारा नरिदषिट किये जाता है ।
- ज़िला परिषद, ज़िले में प्राथमिक वदियालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, नरिमाण या प्रबंधन कर सकती है ।
- उन्हें भू-राजस्व का आकलन और संग्रह करने तथा कुछ नरिदषिट कर लगाने का अधिकार है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

भारत के संवधान में पाँचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में प्रावधान किये गए हैं: (2015)

- (a) अनुसूचति जनजातियों के हतियों की रक्षा करना
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं का नरिधारण
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़मिमेदारियों का नरिधारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में **अनुसूचति कषेत्रों एवं अनुसूचति जनजातियों के प्रशासन तथा नरियंत्रण** के लिये प्रावधान करती है ।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में जनजातीय कषेत्रों के प्रशासन से संबंधित है । **अतः विकल्प (a) सही है ।**

स्रोत: द हट्टू

